सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

20 फाल्गुन, 1947 (श०)

संख्या - 99 राँची, बुधवार, 11 मार्च, 2026 (ई०)

राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग।

अधिसूचना

10 मार्च, 2026

संख्या-09/आरोप-राँची-137/2021- 574 (09)/रा., --श्री मनोज कुमार दीक्षित, तत्कालीन अचंल निरीक्षक, रातु, राँची के विरूद्ध रातु अंचल अंतर्गत मौजा-मेराल, खाता नं0-41, प्लॉट नं0-261 एवं 262 में अवस्थित भूमि का दुबारा नामांतरण की स्वीकृति की अनुशंसा करने के आरोप में उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी कार्यालय, राँची का पत्रांक-569 (ii)/स्था0, दिनांक-30.03.2021 द्वारा आरोप पत्र विभाग को प्राप्त हुआ है।

2. श्री दीक्षित के विरूद्ध उक्त मामले में राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, राँची, झारखण्ड के पत्रांक-2751, दिनांक-10.07.2014 द्वारा U/S 120-B, 406 & 420 IPC and Sec 13(2) r/w 13(I) (d) of PC Act, 1988 के अंतर्गत अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गई है।

3. आरोप पत्र में गठित आरोपों के संबंध में विभागीय पत्रांक-1721/रा0, दिनांक-09.04.2021 एवं अन्य स्मारों द्वारा श्री दीक्षित से स्पष्टीकरण की माँग की गई। उक्त के आलोक में श्री दीक्षित द्वारा स्पष्टीकरण समर्पित किया गया है।

4. श्री दीक्षित के विरूद्ध गठित आरोप पत्र, श्री दीक्षित द्वारा समर्पित स्पष्टीकरण तथा स्पष्टीकरण पर उपायुक्त, राँची के पत्रांक-67(i), दिनांक-18.07.2024 द्वारा प्रेषित मंतव्य के सम्यक समीक्षोपरांत श्री दीक्षित के विरूद्ध झारखण्ड पेंशन नियमावली के नियम-43(ख) के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित करने का निर्णय लिया गया है।

5. कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के आदेश ज्ञापांक-229, दिनांक-09.01.2026 द्वारा नामित श्री सुनील कुमार, भा0प्र0से0 (सेवानिवृत्त) को संचालन पदाधिकारी नामित किया जाता है तथा विभागीय पक्ष रखने हेतु अपर समाहर्ता, राँची को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. पूर्व में निर्गत विभागीय अधिसूचना संख्या-3420, दिनांक-18.12.2025 को रद्द समझा जाता है।

7. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव पर माननीय विभागीय मंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

मंजू रानी स्वांसी,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 99 - 50